UPAD010056092013

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, प्रयागराज।

उपस्थितः दिवाकर द्विवेदी, ... उच्चतर न्यायिक सेवा।

सत्र परीक्षण संख्या– 1175 सन 2013

राज्य ....अभियोजन।

– प्रति –

दिलीप कुमार केसरी पुत्र मक्खन लाल

निवासी– 144 मधवापुर, बैरहना, थाना कीडगंज, जनपद प्रयागराज।

हाल निवासी– मकान नं. 32/35, नया मम्फोर्डगंज, थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज।

.... अभियुक्त।

अपराध संख्या–310 सन 2006

धारा–304 भा.द.सं.

थाना– कर्नलगंज, जनपद– प्रयागराज।

निर्णय

अभियुक्त **दिलीप कुमार केसरी** का विचारण सत्र परीक्षण संख्या 1175 सन 2013, धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में भा.द.सं.), थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज के प्रकरण में किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी दूधनाथ यादव द्वारा थाना कर्नलगंज में प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी। प्रार्थना पत्र में वादी दूधनाथ यादव द्वारा अभिकथित किया गया कि दि. 22.09.2006 को उसके भाई बच्चालाल यादव व पड़ोस के स्व. लल्लू बनिया के दामाद जो बैरहना के निवासी हैं। जिसको वह पहचानता है नाम नहीं जानता है। ग्यारह बजे दिन में किसी बात को लेकर गाली गलौज हुआ था। उसका भाई दि. 22/23.09.2006 को रात अपने घर के बाहर चौतरे पर करीब 1.30 बजे रात में सो रहा था, कि उक्त लल्लू बनिया का दामाद उसी रंजिश को लेकर रात में उसके भाई को मुँह दबाकर बुरी तरह से चाकू व सरिया से मारकर घायल कर दिया है। जिसका शरीर छत–विछत होकर

खून से बेहोश पड़ा था। सांस चल रही थी। वह सुबह उठकर दरवाजे के बाहर चौतरे पर देखा तो उसके भाई का शरीर छत–विछत पड़ा है। प्रार्थी पड़ोस के लोगों की मदद से एस.आर.एन. अस्पताल में ले जाकर दाखिल किया। जिसका इलाज चल रहा है। उसके भाई को अभी तक होश नहीं आया है। उपरोक्त व्यक्ति लल्लू का दामाद शातिर है। उसका भाई अभी भी अस्पताल में है।

3. वादी दूधनाथ यादव द्वारा घटना के सम्बन्ध थाना कर्नलगंज में दिये गये प्रार्थना पत्र पर थाना कर्नलगंज में दिलीप कुमार केसरी के विरुद्ध अपराध संख्या 310 सन 2006, धारा 308 भा.द.सं की प्राथमिकी पंजीकृत की गयी। अभियोग पंजीयन की प्रविष्टि सामान्य दैनिकी में की गयी। दौरान चिकित्सा चोटहिल बच्चालाल यादव की मृत्यु हो गयी। विवेचक द्वारा अभियोग की विवेचना के अन्तर्गत मृतक बच्चालाल यादव पोस्टमार्टम कराया गया तथा वादी व अन्य साक्षीगण के कथन अंकित किये गये तथा घटनास्थल पर नक्शा नजरी तैयार किया गया। अपराध संख्या 310 सन 2006 में विवेचक द्वारा विवेचना के अन्तर्गत संग्रहीत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दिलीप कुमार केसरी के विरुद्ध धारा–304 भा.द.सं के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्त दिलीप कुमार केसरी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरान्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र पर संस्थित दाण्डिक वाद को दिनांक 29.10.2013 को सत्र न्यायालय उपार्पित किया गया। सत्र न्यायालय में अभियुक्त दिलीप कुमार केसरी के विरुद्ध सत्र परीक्षण संख्या 1175 सन 2013 पंजीकृत किया गया। तदोपरान्त सत्र परीक्षण अन्तरित होकर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.1, प्रयागराज के न्यायालय में प्राप्त हुआ। अभियुक्त दिलीप कुमार केसरी के विरुद्ध दिनांक 23.01.2014 को धारा 304 भा.द.सं. के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त द्वारा आरोपों को प्रत्याख्यान किया गया और विचारण की माँग की गयी।

5. अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन साक्षी–1 दूधनाथ यादव, अभियोजन साक्षी–2 मुन्नालाल यादव, अभियोजन साक्षी–3 जवाहर यादव, अभियोजन साक्षी–4 डॉ. भुपेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, अभियोजन साक्षी–5 सेवानिवृत्त का. स्वामीनाथ पाण्डेय, अभियोजन साक्षी–6 विमल कुमार मिश्र, अभियोजन साक्षी–7 महेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया।

6. अभियोजन की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर संलग्न प्रलेख वादी दूधनाथ यादव द्वारा थाना कर्नलगंज, प्रयागराज पर अभियोग पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (प्रदर्श क–1), पंचायतनामा (प्रदर्श क–2), चोटहिल की मृत्यु की सूचना (प्रदर्श क–3), शव विच्छेदन रिपोर्ट (प्रदर्श क–4), शव विच्छेदन हेतु अनुरोध पत्र (प्रदर्श क–5), फोटोनाश (प्रदर्श क–6), पुलिस फार्म (प्रदर्श क–7), नमूना मोहर (प्रदर्श क–8), शव की सूचना (प्रदर्श क–9), नकल रपट (प्रदर्श क–10), आर.आई. चिट्ठी (प्रदर्श क–11), सी.एम.ओ. चिट्ठी (प्रदर्श क–12), चिक एफ.आई.आर. (प्रदर्श क–13), नकल रपट सं. 29 दि. 23.09.2006 (प्रदर्श क–14), नक्शा नजरी (प्रदर्श क–15), आरोप पत्र (प्रदर्श क–16) एवं आघात आख्या (प्रदर्श क–17) को साबित कराया गया है।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों ने अपनी परीक्षा में जो कथन किया है उसका सार निम्नवत है।

8. अभियोजन साक्षी 1 दूधनाथ यादव ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी माता जी का दशवी दि. 22.09.2006 को था। दिन में लगभग 11.00 बजे दिन में टेण्ट लगाने का विवाद उसके भाई बच्चालाल यादव व बगल के ही लल्लू बनिया के दामाद दिलीप कुमार केसरी से हो गया था। उसी रात्रि में खाना पीना खाकर घर में सोने चले गये। उसका भाई बच्चा लाल यादव बाहर चबुतरे पर सो रहा था। रात्रि में हम लोग घर के अन्दर थे। बाहर कुछ चिल्लाने की आवाज सुना तो वह घर के बाहर आया तो देखा कि लल्लू बनिया का दामाद दिलीप केसरी उसके भाई बच्चा लाल यादव को चाकू और सरिया से मार रहा था। उसने शोर किया तो दिलीप केसरी भाग गया। जब वह भाई के पास पहुँचा तो उसका शरीर खून से लतपथ था तथा गम्भीर घायल अवस्था में था। उसके भाई को दिलीप केसरी द्वारा चाकू सरिया से मारते हुये उसने अपनी आँखों से देखा था। उसके बाद वह अपने भाई को स्वरूप रानी अस्पताल ले गया था। दौरान इलाज अस्पताल में दि. 04.10.2006 को उसके भाई की मृत्यु हो गयी थी। इस घटना की एक लिखित तहरीर उसने दि. 13.09.2006 को अपने भान्जे विनीत कुमार यादव को बोलकर एक तहरीर लिखायी थी। जिसको लिखने के बाद उसको पढ़कर सुनाया था। साक्षी को पत्रावली में संलग्न तहरीर कागज सं. 5अ दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो उसने तहरीर का समर्थन करते हुये उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। उसके भाई के शव का पंचायतनामा पुलिस के द्वारा उसके समक्ष किया गया था। शव को सर्वसील मोहर करके लाश को पोस्टमार्टम

हाउस भेजा गया था। साक्षी को पत्रावली में संलग्न कागज सं. 7अ/1 लगायत 7अ/3 पंचायतनामा दिखाया गया तो साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर को पुष्टि किया। तहरीर 5अ पर प्रदर्श क–1 तथा पंचायतनामा कागज सं. 7अ प्रदर्श क–2 डाला गया। अस्पताल में मृत्यु के बाद उसने दि. 05.10.2006 को अपने भाई बच्चालाल यादव के मृत्यु की लिखित सूचना थाने में दिया था। साक्षी को पत्रावली में संलग्न तहरीर कागज सं. 7अ/9 दिखाया गया तो साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी दूधनाथ यादव द्वारा कथन किया गया है कि उसका नाम दूधनाथ यादव है। घटना दि. 22.09.2006 की है। उसकी उम्र वर्तमान में 60 वर्ष है। वह पाँच भाई थे। वर्तमान में तीन भाई है। लल्लू घटना वाले मकान में घटना से करीब 17–18 साल पहले से रह रहे थे। मुल्जिम दिलीप केसरी लल्लू का दामाद है। मुल्जिम दिलीप केसरी बैरहना का रहने वाला है। बैरहना मम्फोर्डगंज से करीब 5–6 किलोमीटर दूर है। उसने रपट में लल्लू के दामाद का नाम लिखा दिया था। उसने रपट में यह अवश्य लिखाया था कि वह लल्लू के दामाद का नाम नहीं जानता है। परन्तु वह उसे काफी अच्छी तरीके से जानता था। केवल उसका नाम नहीं जानता था। घटना के दूसरे दिन ही उसने लल्लू के दामाद का नाम पता कर लिया था। उसने किससे लल्लू के दामाद का नाम पता किया था यह उसे आज याद नहीं है। क्योंकि घटना काफी पुरानी है। घटना के बाद सबसे पहले वह अपने भाई को रिक्शे में लादकर अस्पताल ले गया था। अस्पताल से लौटने के बाद ही उसे लल्लू के दामाद का नाम पता चला था। अस्पताल से घर आकर लल्लू के दामाद का नाम पता लगाने के बाद वह रपट लिखवाने थाने गया था। तहरीर देते समय उसे लल्लू के दामाद का नाम पता था। उसने जिससे तहरीर लिखवायी थी. उसने लल्लू के दामाद का नाम नहीं लिखा था। उसने रपट विनीत यादव से लिखवायी थी। जो अहियापुर का है और उसका सगा भांजा है। मम्फोर्डगंज से अहियापुर करीब 4 किलोमीटर दूर है। उसने उसे (विनीत यादव) को बुलाया था या नहीं उसे याद नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वह घटना की खबर सुनकर स्वयं आया हो। लल्लू का मकान और उसका मकान बिल्कुल अगल–बगल था। लल्लू का मकान पुश्तैनी नहीं था। बल्कि उसने यह मकान खरीदा था। घटना के कितने दिनों पहले लल्लू ने मकान खरीदा था। उसे नहीं मालूम। लल्लू ने मकान किससे खरीदा था। यह भी उसे नहीं मालूम। वह अपने मकान में अपने जन्म से ही रह

रहा था। लल्लू से पहले लल्लू के मकान में एक बनिया रहता था। यह कहना एकदम गलत है कि वह बनिये से मकान खरीदना चाहता था। गवाह ने खुद कहा कि उसका तो अपना मकान था ही। यह कहना गलत है कि बनिया से मकान खरीदने के मुद्दे पर उसकी लल्लू से रंजिश थी। घटना के दिन उसकी माँ के दशकर्म संस्कार के लिये टेण्ट लगा हुआ था। रपट में दशकर्म का उल्लेख नहीं किया है। दरोगा जी को दशकर्म की बात लिखायी थी या नहीं, उसे नहीं मालूम। उसने रपट में टेण्ट लगाने वाली बात लिखायी थी या नहीं उसे नहीं मालूम। क्योंकि घटना 14–15 साल पुरानी है। घटना के दिन उसकी माँ का दशकर्म था। यह उसे याद है।

मुल्जिम आज अदालत में हाजिर नहीं है। वह सभी भाई अलग–अलग घरों में रहते हैं। वह सात भाई थे। घटना के समय तीन भाई जिन्दा थे। फिर कहा घटना के समय में चार भाई थे। चारों भाई अपने अपने घरों में अलग–अलग रहते थे। जवाहर यादव, दूधनाथ यादव, मुन्नलाल यादव, बच्चा यादव थे। उसके बड़े भाई उसके घर से एक किलोमीटर दूर रहते थे। मुन्नलाल यादव उसके घर से बारह किलोमीटर दूर रहते थे। उसके भाई मुन्नालाल ए.डी.ओ. पंचायत थे। आज अदालत में उसके साथ आये हैं। बच्चालाल (मृतक) उसके घर से एक किलोमीटर दूरी पर रहते थे। टेण्ट लगाने वाला झगड़ा उसी दिन 11.00 बजे दिन में हुआ। उसके बाद उसका और उन लोगों से मुल्जिम का कोई विवाद नहीं हुआ था। टेण्ट लगाने के अलावा मुल्जिम की उसकी कोई रंजिश नहीं थी। उसकी माता का दसवां का कार्यक्रम रात 12 बजे तक लगभग चला था। उस कार्यक्रम में उसके परिवार के 25 लोग आये थे। उसने यह बात कि घटना की रात 12 बजे तक माँ के दसवे का कार्यक्रम चला था। उसने रिपोर्ट नहीं लिखाया था। इसलिये नहीं की थी, क्योंकि जरुरी नहीं समझा। उसने उपरोक्त बात दरोगा जी को भी अपने बयान में नहीं बताया था। कार्यक्रम के बाद वे लोग अन्दर लेटने चले गये और दरवाजा बन्द कर लिया। बच्चालाल बाहर चारपायी पर सो रहा था। मुन्नू यादव के चबुतरे पर चारपायी पर सो रहा था। यह बात मृतक मुन्नू यादव के चबुतरे पर चारपायी पर सो रहा था। उसने रिपोर्ट नहीं लिखाया बल्कि दरोगा जी को अपने बयान में बता दिया था। यदि यह बात उसके बयान में दरोगा जी ने नहीं लिखी तो इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। उसे नहीं मालूम कि घटना के समय मकान का मालिक लल्लू बनिया जिन्दा था या मर गया। दिलीप, लल्लू का दामाद बैरहना का रहने वाला है। दिलीप यहीं इसी मकान में उसके बगल में रहता है और बैरहना आता–जाता है। घटना के समय यह उसी मकान में रहते थे। दिलीप बैरहना का रहने वाला है। उसने दिलीप

का नाम दरोगा जी को बताया था। उसने दरोगा जी को अपने बयान में प्रदीप का नाम नहीं बताया था। यदि दरोगा जी ने उसके बयान में लल्लू के दामाद का नाम प्रदीप कुमार उर्फ बच्चा लिखा है तो गलत है। उसने दरोगा जी को दिलीप का नाम बताया था। दरोगा जी ने प्रदीप कुमार का नाम कैसे लिख लिया उसकी वजह वह नहीं बता सकता। इस घटना से पहले लल्लू या उनके दामाद से उन लोगों की कोई रंजिश नहीं थी। उसके यहाँ घटना के दिन निकासी (श्राद्ध) था। उस दिन हम लोगों ने बाल बनवाया था। उसके बाद 11.00 बजे करीब हम लोग सोने चले गये थे। डेढ़–दो बजे उसके मृतक भाई ने शटर में लात मारी, लात मारने से शटर के शोर की आवाज से वे लोग जग गये और बाहर आये। उसने उपरोक्त बात लात मारने की आवाज से बाहर आये। यह बाते रपट में नहीं लिखायी। उसने उपरोक्त बातें दरोगा जी को नहीं लिखायी थी। वह उपरोक्त बातें रपट में या बयान में न लिखाने की वजह नहीं बता सकता। उसने रपट में (वह सुबह ही दरवाजे के बाहर चबूतरे पर देखा तो उसके भाई का शरीर छत–विछत पड़ा है।) उसने रपट में नहीं लिखाया। यदि रपट में उपरोक्त बातें लिखी हैं तो वह गलत है। यह बातें उसने रपट में नहीं लिखायी थी। उसे यह याद नहीं कि उसने रिपोर्ट किससे लिखवायी थी। उसने रिपोर्ट लिखवाने के बाद रिपोर्ट पढ़वाकर सुन लिया था। उसे दीवान ने एफ.आई.आर. लिखकर दिया। मुल्जिम सरिया व चाकू दोनों लिये था। सरिया व चाकू दोनों दाहिने हाथ में लिये था व बायें हाथ से मुँह दबाया था। दाहिने हाथ में सरिया व चाकू से मार रहा था। वह नहीं बता सकता कि कहाँ–कहाँ सरिया की चोट लगी थी व कहाँ–कहाँ चाकू की चोट लगी थी। यह पोस्टमार्टम से पता चलेगी। उसने रपट में लल्लू बनिया के दामाद दिलीप का नाम लिखा दिया। बाद में कहा कि वह नाम नहीं जानता था। जानता–पहचानता था। उसे दूसरे दिन उसका नाम पता चला। किसने बताया उसे याद नहीं। यह कहना गलत है कि वे लोग लल्लू बनिया का मकान खरीदना चाहते थे और लल्लू का दामाद दिलीप उसका विरोध करता था।

यह कहना गलत है कि उसने किसी को भी अपने भाई बच्चा लाल को मारते नहीं देखा था न ही उसके परिवार के किसी सदस्य को बच्चा को मारते नहीं देखा था। यह भी कहना गलत है कि उसके व उसके परिवार के लोगों ने सुबह बाहर निकल कर देखा तो बच्चा जख्मी था और उसके किसी सदस्य ने मारते नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि उसके भाई बच्चा झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था। यह भी कहना गलत है कि उसके भाई के कई लोगों से

दुश्मनी थी। यह भी कहना गलत है कि उसने कोई भी घटना नहीं देखी और रंजिशवश झूठी गवाही दे रहा है।

9. अभियोजन साक्षी 2 मुन्नालाल यादव ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दि. 21.09.2006 को उसकी माता जी का मृत्यु हो गयी थी। उसके दूसरे दिन दि. 22.09.2006 को रात 12 बजे निकासी की थी। दि. 22.09.2006 को दिन में उसका छोटा भाई बच्चालाल यादव से टेण्ट कुर्सी आदि लगाने को लेकर श्री दिलीप कुमार केसरवानी से विवाद हो गया था। उसके बाद वे लोग किसी तरह झगड़ा शांत कराया और कहा कि मिट्टी का कार्य करने दो। इसी रंजिश को लेकर दिलीप कुमार केशरी दि. 22/23 की रात मध्य में आवाज आयी, चिल्लाने की आवाज उसके छोटे भाई बच्चालाल यादव के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह बाहर निकला। उसके तीन भाई व बहन चिल्लाहट की आवाज सुनकर उसके बाद देखा कि दिलीप कुमार केशरी उसके भाई बच्चालाल यादव को चाकू से कनपटी व कान के पास कई वार करके घायल कर दिया, फिर वे लोग अपने पड़ोसियों व परिवार वालों की मदद से एस.आर.एन. हॉस्पिटल ले गये। इलाज के दौरान दि. 04.10.2006 को उसकी मृत्यु हो गयी। जब उसके भाई को मार रहा था तो चिल्लाने की आवाज सुनकर वे लोग बाहर आये तो देखा कि दिलीप कुमार केशरी भागकर अपने घर में जा रहा था। उक्त घटना की एफ.आई.आर. उसके भाई दूधनाथ यादव ने लिखायी थी। दरोगा जी ने उसका बयान उक्त घटना के सम्बन्ध में लिया था।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी मुन्नालाल यादव द्वारा कथन किया गया है कि वह और उसके भाई उस जमाने में एक ही मकान में रहते थे। उसके मारने के पहले टेण्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उसने उस झगड़े को यह कहकर शांत करा दिया था कि मिट्टी होने दो। उसने दरोगा जी को यह बताया था कि मिट्टी हो जाने दो। यदि उपरोक्त बात उसके बयान में नहीं लिखी तो कारण वह नहीं बता सकता। उस समय तक उसके माता जी की मिट्टी वहीं रखी थी। उसकी माँ की मिट्टी शाम को 4/5 बजे रसूलाबाद के लिये प्रस्थान किया था। टेण्ट लगाने का झगड़ा 9/10 बजे दि. 21.09.2006 को हुआ था। उसने 9/10 बजे दिन में झगड़ा हुआ था। दरोगा जी को बतायी थी। यदि टेण्ट लगाने का झगड़ा 9/10 बजे दिन की बात दरोगा जी ने नहीं लिखी तो कारण वह नहीं बता सकता। टेण्ट लगाने की बाद झगड़ा शान्त करा दिया था। उसके बाद रसूलाबाद जाने तक कोई बात नहीं हुयी थी। वह अंदाज

से भी नहीं बता सकता। वह कितने बजे घर वापस आया। लगभग 8 बजे लगभग वापस घर आया। उसे याद नहीं कि यह बात दरोगा जी को बतायी थी कि नहीं उसके बाद से कोई झगड़ा नहीं हुआ। 9/10 के आस–पास में सोने के लिये चला गया था। लेकिन वह सोया नहीं था। जब घटना घटी तो वह सो गया था। उसके और उसके परिवार के लोग घर के अन्दर सो रहे थे। वे सब भाई थे। लेकिन झगड़ा बच्चालाल से हुआ था। जब चिल्लाने की आवाज आयी तो वे तीनों भाई और तीनों बहने इकट्ठा बाहर आये। जब चिल्लाने की आवाज आयी तो वह उठा और चिल्लाकर उनको जगाकर बताया कि दिलीप केशरी, बच्चा लाल को मार रहा है। उसे याद नहीं कि उसने यह बात दरोगा जी को बतायी कि नहीं। उसके चिल्लाहट की आवाज सुनकर एक मिनट में बाहर आ गये। उस वक्त दिलीप केशरी उसके भाई को चाकू से मार रहा था। इस चाकू के अलावा दिलीप केशरी के हाथ में और कोई औजार नहीं था। दिलीप केशरी के हाथ में राड नहीं था। फिर कहा उसे याद नहीं कि उसके हाथ मे राड या सरिया थी कि नहीं। रपट उसके सामने नहीं लिखी गयी थी। वे लोग घटनास्थल पर दिलीप कुमार केशरी को पकड़ने की कोशिश नहीं की थी। क्योंकि उसके हाथ में औजार था फिर कहा चाकू था इसलिये पकड़ने की कोशिश नहीं की।

जिस रात घटना घटी उस रात उसका भाई बच्चालाल यादव के अलावा सभी परिवार के लोग घर के अन्दर सो रहे थे। उसका भाई बारहोमास चबूतरे पर ही सोया करता था। उसके बाहर सोने की बारहोमास उसकी खुद की आदत थी। मृतक बच्चालाल शादीशुदा नहीं था। मृतक की उम्र लगभग 20–22 साल थी। रात में कौन मिलने आता था बच्चालाल से उसे जानकारी नहीं है।

यह कहना गलत है कि मृतक का आशिकी–माशुकी का चक्कर था। वह इधर उधर जाता था इसलिये बाहर सोता था। यह कहना गलत है कि इसी सिलसिले में उसकी शोहरतेआम बहुत खराब थी और आये दिन मोहल्ले वालों से झगड़े हुआ करते थे और यह भी कहना गलत है कि बहुत से लोगों से उसकी दुश्मनी थी। इस घटना की रपट उसके बड़े भाई दूधनाथ यादव ने लिखवायी थी और चिल्लाहट की आवाज पर उन्होंने ही देखा कि मामला क्या है। फिर उसके बाद मामले की रपट लिखायी थी। यह भी कहना गलत है कि वह जिस तरह से बताता है उस तरह से कोई घटना घटित नहीं हुयी और उसने कुछ नहीं देखा और यह भी

कहना गलत है कि वह अपने बड़े भाई दूधनाथ के कहने पर झूठी गवाही दे रहा है। दूधनाथ उसके बड़े भाई सुरक्षा हेतु पीछे बैठे हैं और सीट पर बैठे हैं।

10. अभियोजन साक्षी 3 जवाहर यादव ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 21.09.2006 को उसकी माताजी की मृत्यु हो गयी थी व पड़ोस के ही दिलीप कुमार केशरी व उनके परिवार वाले के बीच टेण्ट लगाने को लेकर विवाद हो गया था। रात में उसका भाई बच्चा लाल घर के बाहर चारपायी पर सो रहा था व घर के अन्य सदस्य व रिश्तेदार घर में सो रहे थे। एकाएक चिल्लाने की आवाज सुनकर वह घर के अन्दर से बाहर आया तथा घर के अन्य सदस्य भी बाहर आ गये थे। जिसमें मुन्नालाल, दूधनाथ, जवाहर कुमार यादव, दूधनाथ की पत्नी गायत्री यादव बाहर आकर देखा, दिलीप केशरी उसके भाई बच्चालाल को चाकू से मार रहा था। उसे व अन्य सदस्यों को देखकर वह भागकर अपने घर चला गया। उसका भाई गम्भीर रूप से घायल था। उसे वे लोग इलाज कराने के लिये एस.आर.एन. अस्पताल ले गये। इलाज के दौरान दि. 04.10.2006 को उसकी मृत्यु हो गयी। दिलीप कुमार ने दिन में हुये विवाद के लेकर उसके भाई पर हमला किया था। घटना में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि वह कुल सात भाई थे। वर्तमान में तीन लोग जीवित हैं। जिनका नाम जवाहर लाल यादव, दूधनाथ यादव, मुन्ना लाल यादव जीवित हैं। घटना के समय उसके चार भाई व तीन बहन थे। टेण्ट लागने का झगड़ा घटना के एक दिन पहले हुआ था। घटना हम सबके व दिलीप के परिवार से हुआ था। इस झगड़े में दिलीप की अपनी सास व बेटी शामिल थी। सिर्फ गाली-गुप्ता हुआ था मारपीट नहीं हुयी थी। मुहाचारी वाले झगड़े के अलावा दिलीप के परिवार से अन्य कोई झगड़ा नहीं था। उसके भाई मुन्ना जो इस मुकदमें के साक्षी है उसके बगल में खड़े हैं। दूधनाथ भी अदालत में मौजूद है। वह और 6 भाई बहन घर के अन्दर सो रहे थे। केवल बच्चालाल बाहर चारपायी पर चबूतरे पर लेटा था। बच्चालाल आमतौर पर अन्दर लेटता था। कभी-कभी बाहर लेटता था। उसे नहीं मालूम कि बच्चालाल कभी-कभी बाहर क्यों लेटता था। उसने उसके बाहर लेटने की कभी वजह नहीं पूछी। वे लोग सब परिवार के अन्दर अलग-अलग लेटते थे। बच्चा लाल हॉफ पैण्ट व सैण्डों बनियान पहने लेटा था। चारपाई पर बिछौना बिछाया था। जब हम लोगों ने शोर सुना तो यह भी नहीं गौर किया कि किधर से आवाज आ रही है। तुरन्त बाहर आ गया। घटना करीब डेढ़ व दो बजे रात की है। वे लोग उसे जैसे ही देखे तब मुढ़कर भाग गया।

फिर कहा कि मार रहा था। वे लोग पकड़ो–पकड़ो की आवाज देने पर वह भाग गया। वे लोग पहले अभियुक्त को देखा। यह पकड़ने की दूरी पर था। उसके जख्मों से खून बह रहा था और चादर व बिछौने पर लगा था। उसने अभियुक्त को व अन्य किसी को चाकू से मारते देखा। यह खूना आलूदा बिछौना व चादर वे लोग दरोगा जी को नहीं दिये थे। बल्कि लपेट कर अस्पताल ले गये थे। अस्पताल वालों ने अपने कब्जे में लिया या नहीं उसे याद नहीं पहले वे लोग अस्पताल गये थे और उस घटना की सूचना उसे नहीं मालूम कि उसके भाई ने कब दिया। उसका बयान दरोगा जी ने घटना के 20–25 दिन बाद लिया था। दरोगा जी घटनास्थल पर उसके बयान लेने के पहले कभी नहीं आये बल्कि उसका बयान लेने के बाद आये। दूधनाथ ने नक्शानजरी वाला तभी बनवाया था। घटना के समय बच्चालाल के जख्मों से जो खून गिरा था। वह जमीन पर नहीं गिरा था। बच्चालाल झगड़ालू किस्म का आदमी नहीं था।

यह कहना गलत है कि उनका मुहल्ले के बहू बेटी की छेड़खानी की शिकायतें आती थी। बच्चालाल अविवाहित था। यह कहना गलत है कि वह बहू बेटी की छेड़खानी के कारण वह बाहर सोता था। यह भी कहना गलत है कि उसी वजह से वे लोग बच्चालाल को बाहर सोने से मना करता है। यह भी कहना गलत है कि जिस तरह से घटना घटित होना वह बता रहा है। उस तरह घटना नहीं हुयी। यह भी कहना गलत है कि उसने कोई घटना नहीं देखी। दिलीप का मकान उसके मकान से सटा हुआ है। यह कहना गलत है कि वे लोग उसका मकान हड़पना चाहते थे। वह उन लोगों को अपना मकान देना नहीं चाहता था। जिसके कारण वे लोग उससे रंजिश मानते थे। यह भी कहना गलत है कि इस रंजिश के कारण झूठी गवाही दे रहा है।

11. अभियोजन साक्षी 4 डॉ. भुपेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दि. 6 अक्टूबर 2006 को उसकी ड्यूटी शव विच्छेदन के लिये लगायी गयी थी। उस दिन (P–24) शिवशंकर मिश्रा, थाना कर्नलगंज जिला इलाहाबाद में द्वारा बच्चा लाल यादव पुत्र विजय लाल यादव, निवासी 32 न्यू मम्फोर्डगंज, थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद के द्वारा लाया गया था। जिसको प्रभारी निरीक्षक थाना कर्नलगंज के द्वारा भेजा गया था। मृतक का शव विच्छेदन सं. 1567/2006 पर दोपहर 2 बजकर तीस मिनट पर उपरोक्त किया गया था। मृतक का शव सील मोहर हालात था एवं उसकी शिनाख्त उपरोक्त कांसटेबुल के द्वारा की गयी। मृतक की मृत्यु स्वरूप रानी चिकित्सालय इलाहाबाद में रात्रि में 10.30 मिनट पर दि. 4 अक्टूबर 2006 को संलग्न सं. 7 के अनुसार हुयी थी। मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। कद

काठी सामान्य था एवं दोनों आंखे बंद थी। मुँह आधा खुला था तथा नाक में नाक वाली नली मौजूद थी एवं गर्दन में Tracheostomy मौजूद था एवं मृत्यु के पश्चात का अकड़न दोनो हाथ दोनो पैर में मौजूद नहीं था। मृतक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोटें आयी थी।

1. एक खरास 2X1 CM के आकार का बांयी भौंव के 4 CM ऊपर मौजूद था।
2. एक टांके लगे हुये फटे हुये घाव दायें कान पर 2X5 CM के आकार का था।
3. एक खरास 4X2 CM के आकार का था।
4. एक खरास 3X1 CM के आकार का बांये टेहुनी के ऊपर मौजूद था।
5. एक खरास 12X10 CM के आकार का दाहिने कंधों पर मौजूद था।
6. एक नीलगू सूजन 3X10 CM के आकार का बांये ललाट पर था।
7. एक नीलगू सूजन 19X9 CM के आकार का बांये अग्र बाजू एवं हाथ पर मौजूद था।
8. एक टांका लगा हुआ फटा हुआ घाव 3X1 CM के आकार का दांये भौं पर मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षण–

1. मस्तिष्क में हिमोटूमा मौजूद था।
2. लेरिंग्स में ट्रैकियोस्ट्रामी ट्यूब मौजूद था।
3. हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे।
4. आमाशय में लगभग 100 एम.एल. तरल पदार्थ मौजूद था।

शव विच्छेदन के पश्चात मृतक का शव सम्बन्धित कांस्टेबुल को सौंप दिया गया। जिसमें एक सील बण्डल थैला में एक अण्डर बीयर और एक ताबीज था। उसकी राय में मृतक की मृत्यु एण्टीमार्टम हेड इंजरी के कारण कोमा से हुयी थी। पत्रावली में संलग्न कागज सं. 8ख जो शव विच्छेदन आख्या में जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसको वह प्रमाणित करता है। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया तथा पत्रावली में शामिल कागज सं. 7क/1 सी.एम.ओ. चिट्ठी 7क/2 लगायत 7क/3 पंचायतनामा 7क/4 फोटोलास 7क/5 पुलिस फार्म सं. 13 नमूना मोहर कागज सं. 7क/6 नमूना मोहर 7क/7 मृत्यु की सूचना एस.आर.एन. हॉस्पिटल एवं 7क/8 नकल रपट एस.आर.एन., थाना कोतवाली तथा थानाध्यक्ष 7क/9 को प्रेषित प्रार्थना पत्र वादी द्वारा एवं 7क/10 जी.डी. 7क/11 आर.आई. चिट्ठी एवं 7क/12 थाना कर्नलगंज द्वारा सी.एम.ओ. को प्रेषित पत्र पर उसके हस्ताक्षर हैं। जो वह प्रमाणित करता है। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–2 डाला गया है। पुलिस फार्म प्रदर्श क–7 नमूना मोहर प्रदर्श क–8 स्वरूप रानी द्वारा

शव की सूचना प्रदर्श क–9 नकल रपट पर प्रदर्श क–10, आर.आई. चिट्ठी प्रदर्श क–11 सी.एम.ओ. चिट्ठी प्रदर्श क–12 डाला गया।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित सारी चोटें रगड़ से अथवा किसी कुन्दआला से आना सम्भव है। इन चोटों में कोई भी स्टैब वाउण्ड नहीं थी। इसलिये सारी चोटें किसी भी बाहू अथवा धारदार असलहें से आना सम्भव नहीं थी। पेशेण्ट स्वरूप रानी अस्पताल में छः दिन एडमिट था। इंजरी नं. 1 से लेकर 8तक की चोटों को कोई भी हड्डी नहीं टूटी हुयी नहीं थी। किसी भी किस्म का कोई फ्रैक्चर नहीं था।

12. अभियोजन साक्षी 5 सेवानिवृत्त का. मु. स्वामीनाथ पाण्डेय ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दि. 23.09.2006 को कांस्टेबिल मोहर्रिर, थाना कर्नलगंज के पद पर नियुक्त था। उसकी नियुक्ति के दौरान दि. 23.092006 को दूधनाथ यादव पुत्र विजय लाल, निवासी मम्फोर्डगंज, थाना कर्नलगंज व उनके साथ विनीत कुमार यादव पुत्र सन्तलाल यादव एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत उसके भाई को मारने के सम्बन्ध में विरुद्ध दिलीप कुमार केसरवानी, लल्लू बनिया का दामाद, थाना बैरहना विरुद्ध धारा 308 भा.द.सं. में अभियोग पंजीकृत किया था। अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज किया था। वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर अक्षरशः उसके द्वारा चिक सं. 279/6 किता किया गया। जिसका मु.अ.सं. 310/06 में पंजीकृत किया। जिसका इंद्राज जी.डी. नं. 29 समय 12.30 दि. 23.09.2006 को मूल के साथ एक ही प्रोसेस में तैयार किया था। मूल जी.डी. रिकार्ड पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कमिश्नर) के आख्या के अनुसार वर्ष 2006 की जी.डी. समय पूर्ण होने पर नष्ट कर दिया गया है। जिसकी आख्या पत्रावली में शामिल मिसिल है। पत्रावली में शामिल कागज सं. 4क–1 जो चिक एफ.आई.आर. है व उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी वह पुष्टि करता है। जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। नकल चिक नकल रपट विवेचक को दिया गया तथा उक्त घटना की सूचना जरिये आर.टी. सेट आला अफसरान को दिये थे। पत्रावली में शामिल कागज सं. 10ख–2 जो मूल के साथ एक ही प्रोसेस में तैयार की कार्बन प्रति है। जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी वह पुष्टि करता है। जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया है। इस घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने उसका बयान लिया था।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि वादी द्वारा जो रपट उसे प्राप्त हुयी थी। उसमें अभियुक्त का नाम स्पष्ट रूप से नहीं था। बल्कि लल्लू बनिया का दामाद लिखा था। जो रपट उसे प्राप्त हुयी थी वो वादी दूधनाथ के हस्तलेख में है। बल्कि फिर साक्षी ने कहा कि रपट लेखक विनीत कुमार पुत्र स्व. सन्तलाल यादव थे। चिक एफ.आई.आर. तैयार की जाती है तो उसकी एक कापी वादी को दी जाती है। जिस पर उसके हस्ताक्षर बनाये जाते हैं। पत्रावली में संलग्न प्रदर्श क–13 जो चिक एफ.आई.आर. है उसपे शिकायतकर्ता व सूचनाकर्ता कोई शिकायतकर्ता हस्ताक्षर नहीं है। उसके द्वितीय प्रति पर वादी के हस्ताक्षर बनवायी जाते हैं। वो द्वितीय पत्र आज उसके सामने अदालत में नहीं है। वह नहीं बता सकता कि 23 तारिख की घटना की चिक एफ.आई.आर. दो दिन विलम्ब से सी.ओ. साहब के यहाँ पहुंची। उसके थाने से न्यायालय रोज डाक आती जाती है। चिक एफ.आई.आर. सी.जे.एम. महोदय के यहाँ पांच दिन विलम्ब से दि.28.09.2006 को पहुँची। इसका कारण था कि चिक एफ.आई.आर. कायम करने के बाद उसी दिन क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है। उसके बाद सी.ओ. कार्यालय से सी.जे.एम. महोदय के यहाँ भेजा जाता है। जिसकी जानकारी उसे नहीं है। जी.डी. की मूल कापी आज उसके सामने नहीं है। उसके सम्बन्ध में रिकार्ड कीपर द्वारा वर्ष 2006 की जी.डी. समय पूर्व होने के कारण नष्ट कर दी गयी है। जो संलग्न पत्रावली है।

यह कहना गलत है कि उसके द्वारा की गयी सारी कार्यावाही फर्जी व एण्टीटाइम है।

13. अभियोजन साक्षी 6 विमल कुमार मिश्र ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दि. 29.09.2006 को वह थाना कर्नलगंज में बतौर उप निरीक्षक तैनात रहा उसी दिन मु.अ.सं. 310/2006 अन्तर्गत धारा 308 भा.द.सं. की विवेचना मुझ एस.आई. को प्राप्त हुयी थी। पर्चा 1 दि. 29.09.2006 को किता किया जिसमें नकल तहरीर, नकल रपट तथा आघात आख्या की छायाप्रति का अवलोकन किया तथा अंकित किया एवं एफ.आई.आर. लेखक स्वामीनाथ पाण्डेय का बयान व वादी मुकदमा दूधनाथ यादव का बयान अंकिन किया तथा वादी मुकदमा के निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया तथा पत्रावली में शामिल कागज सं. 6 जो नक्शानजरी है वह उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी वह पुष्टि करता है। जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया तत्पश्चात साक्षी अर्जुन यादव, जमींदार यादव का बयान अंकित किया। दि. 28.09.2006 पर्चा नं. 2 में अभियुक्त दिलीप कुमार केसरी की

गिरफ्तारी की तथा उसका बयान अंकित किया, दि. 05.10.2006 पर्चा नं. 2 में वादी मुकदमा द्वारा एक किता मेमो इस बाबत दिया कि मजरूब बच्चालाल यादव की मृत्यु हो गयी। जिसके आधार पर जी.डी. सं. 27 समय 13.05 बजे दि. 05.10.2006 को मु.अ.सं. 310/2006 में 304 भा.द.सं. में तरमीम किया गया तथा मेमो का उल्लेख कर अवलोकन किया। दि. 20.10.2006 को पर्चा नं. 3 में साक्षी मुन्नालाल यादव, श्रीमती गायत्री देवी, कुसुम यादव, जवाहरलाल यादव का बयान अंकित किया। दि. 23.10.2008 को पर्चा नं. 4 में पी.एम.आर. का अवलोकन कर उल्लेख किया तथा नकल पंचायतनामा एवं पंचायतनामा के गवाहन का बयान अंकित किया। दि. 10.12.2006 को पर्चा नं. 5 में तमामी विवेचना वादी मुकदमा तथा साक्षियों के बयान, निरीक्षण घटनास्थल, मेडिकल रिपोर्ट, पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये अभियुक्त दिलीप कुमार केसरी पुत्र मक्खन लाल, निवासी 144 मधवापुर, बैरहना, थाना कीडगंज के विरुद्ध जुर्म धारा 304 भा.द.सं. का बखूबी साबित होता है तथा अभियुक्त का हाल पता मकान नं. 32/35 नया मम्फोर्डगंज, थाना कर्नलगंज के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। पत्रावली में शामिल कागज सं. 3क जो आरोप पत्र है वह उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी वह पुष्टि करता है। जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि तफ्तीश ग्रहण करने के बाद उसने एफ.आई.आर. का अवलोकन किया। एफ.आई.आर. में किसी भी गवाह चश्मदीद का नाम नहीं लिखा था। खुद वादी ने सुबह के वक्त घर से बाहर निकलने पर अपने भाई को जख्मी हालत में देखने की बात बतायी लिखी थी। इसी प्रकार घटना का Actual समय एफ.आई.आर. में नहीं लिखा गया है। घर के सारे सदस्य घटना वाली रात में घर के अन्दर सोने की बात वादी ने बतायी थी। मृतक अकेले घर के बाहर क्यों लेटा था इसकी कोई भी वजह किसी भी आदमी ने उसे नहीं बतायी थी। उसे नहीं मालूम कि मृतक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसलिये रात में घर के बाहर लेटता था। जब जहाँ चाहे बिना इत्तिला के आये जाये। मालवीया नगर घटनास्थल से 6–7 किलोमीटर दूर शहर के दूसरे छोर पर है। मुल्जिम का निवास बैहराना घटनास्थल से करीब 4–5 किलोमीटर दूर है। घटनास्थल शहर में घनी आबादी के दरम्यान था। यह सही है मृतक के परिवारजनों के अतिरिक्त कोई आस पड़ोस के किसी व्यक्ति ने घटना के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया है और न ही अपनी आंखों देखा बताया है और न ही यह बताया है कि यह घटना किसने कारित की है। दूधनाथ के बयान 161 में

उसके द्वारा लल्लू बनिया के दामाद का नाम प्रदीप लिखा है। उसे नहीं मालूम न उसने पता लगाया था कि लल्लू बनिया के कितनी लड़किया थी और कितने दामाद थे और सब दामादों के क्या नाम थे। उसको मुन्नालाल ने यह बयान नहीं दिया था कि "मिट्टी हो जाने दो" उसे मुन्नालाल यादव ने मिट्टी हो जाने के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया था। उसे मुन्नालाल यादव ने अपने बयान 161 में यह बयान नहीं दिया था कि "उसने 9–10 बजे दिन में हुआ था" दरोगा जी को बताया था। उसने जवाहर लाल, मुन्ना लाल, कुसुम देवी और गायत्री देवी के बयानात घटना के 20–22 या 25–26 दिन बात लिया था। इतने विलम्ब से इन गवाहों के बयान 161 लेने का कोई कारण नहीं था और न ही उसने इसा (विलम्ब) तफ्तीश नहीं किया था। उसने दि. 26.09.2006 को पहला पर्चा किता किरने की तारीख केस डायरी में डाली है। परन्तु किस समय तफ्तीश व किस स्थान से शुरु की उसका उल्लेख केस डायरी में नहीं किया है।

यह कहना गलत है कि 25–26 रोज के बाद बयान इसलिये लिया कि उसके बाद आग्रह करने के बावजूद कोई भी परिवार वाला झूठी गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। यह कहना गलत है कि उसने थाने पर बैठकर सारी कार्यवाही किया और सारी तफ्तीश की गवाही फर्जी है।

14. अभियोजन साक्षी 7 महेन्द्र सिंह ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह आज न्यायालय के समक्ष मूल रजिस्टर दि. 12.09.2006 से 25.09.2006 लाया है। इस रजिस्टर के पेज नं. 151 पर मजरूब बच्चालाल यादव जिसकी उम्र 48 वर्ष थी और उसके पिता का नाम स्व. विजयी लाल नि. 32 न्यू मम्फोर्डगंज, थाना कर्नलगंज प्रयागराज जिसकी आघात आख्या का परीक्षण समय 7.10 ए.एम. दि. 23.09.2006 को डॉ आर.पी. मिश्रा द्वारा किया गया थआ। उस समय वह ई.एम.ओ. के पद पर थे। उसके रजिस्टर के अनुसार इस मरीज को लाने वाला उसका भाई जवाहर लाल यादव जिसकी उम्र 55 वर्ष थी। उसके पिता नाम विजयी लाल नि. उपरोक्त था। इस मरीज को कुल तीन चोटें आयी थी। जिसका विवरण मूल रजिस्टर में अंकित है तथा मूल रजिस्टर के पेज नं. 151 की छाया प्रति मय सत्यापित लाया है। जिसको आज न्यायालय में दाखिल कर रहा है। पत्रावली में शामिल कागज सं. 9ख/1 के अवलोकन व मूल रजिस्टर के पेज नं. 151 को मिलान करने पर एक ही पाया गया, भिन्नता नहीं है। मूल रजिस्टर की आघात आख्या व पत्रावली में शामिल आघात आख्या एक ही है। जिसको वह प्रमाणित करता है। जिस पर प्रदर्श क–17 डाला गया।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि जिस समय की यह घटना है बच्चा लाला यादव की आघात आख्या तैयार की गयी थी। उस समय उसकी नियुक्ति एस.आर.एन. में नहीं थी। वह आघात आख्या तैयार करने वाले डॉ. आर.पी. मिश्रा के साथ कभी तैनात नहीं रहा इसलिये वह उनके लेख व हस्ताक्षर को नहीं पहचानता है। सिर्फ रजिस्टर के आधार पर आज अपना साक्ष्य अंकित कराया। इस आघात आख्या में कौन सी नं. की चोट गम्भीर है और कौन सी नं. की चोट सामान्य है वह नहीं बता सकता।

यह कहना गलत है कि आघात आख्या डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में जूनियर डॉक्टरों द्वारा फर्जी रूप से तैयार की गयी है।

15. दिनांक 30.09.2024 को अभियुक्त दिलीप कुमार केसरी के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। जिसमें अभियुक्त ने कथन किया कि वादी और उसके ससुर का मकान अगल–बगल है। उसके ससुर का देहान्त हो चुका है। उसकी पत्नी उसके ससुर की अकेली सन्तान है और उसके साथ रहती है। वादी मुकदमा कई भाई हैं और उपरोक्त मकान को हासिल करने के लिये उस पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिये उसे रंजिशन उक्त मुकदमें में फर्जी फंसा दिया है। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा साक्ष्य देने का कथन किया है।

16. मेरे द्वारा अभियोजन पक्ष व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व पत्रावली का परिशीलन किया। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी–

(I). Criminal Appeal No. 674 of 2006, D/-8-3-2011, State of U.P. Vs Naresh & Ors.

(II). Criminal Appeal No. 168 with 1399 of 2007, D/-25-2-2011, Jugal Kishore Khetawat Vs State of West Bengal.

(III). Sadhu Saran Singh Vs State of U.P. And Ors, Date of Decision: 26 February 2016.

(IV). Jaswant Alias Rajan And ANR Vs State of U.P., Date of Decision: 15 December 2009.

(V). Keshavlal Vs State of Madhya Pradesh, Date of Decision: 04 March 2002.

(VI). Raju @ Balachandran & Ors Vs State of Tamil Nadu, Date of Decision: 27 November 2012.

(VII). Chhotanney And ors Vs State of Uttar Pradesh And Ors, Date of Decision: 18 February 2009.

अभियुक्त की ओर से अपने मामले के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी–

(I). Criminal Appeal No. 37 of 1979, March 6, 1991, Ram Raj Singh & Ors Vs State of U.P.

(II). Criminal Appeal No. 1463 of 1979, November 28, 1991, Ram Das Vs State of U.P.

(III). Solanki Chimanbhai Ukabhai Vs State of Gujarat, Date of Decision: 22 February 1983.

(IV). Criminal Appeal No. 1475 of 2017, Decided On: 24.05.2019, Guman Singh Vs State of Rajasthan.

उपरोक्त विधि–व्यवस्थाओं का सादर अवलोकन किया।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि दि. 22.09.2026 की रात को जब उसका भाई घर के बाहर चौतरे पर करीब ढेड़ बजे सो रहा था उस वक्त अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के भाई का मुँह दबाकर बुरी तरह से चाकू व सरिया से मारकर घायल कर दिया गया। जिससे उसका शरीर छत-विछत हो गया और खून से बेहोश पड़ा था। बाद में उसकी मृत्यु हो गयी।

उपरोक्त आपराधिक वाद में न्यायालय को निम्न बिन्दुओं पर विचार करना होगा-

(I). क्या दि. 22/23.09.2006 की रात्रि में अभियुक्त दिलीप कुमार केसरी ने मृतक बच्चालाल यादव पर हमला किया था?

(II). अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमन्द हैं,

(III). क्या चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मौखिक साक्ष्य का समर्थन करते हैं?

(IV). क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 304 भा.द.सं. का अपराध सन्देह से परे सिद्ध कर पाया है?

18. उपरोक्त तथ्यों को साबित करने के लिये अभियोजन की तरफ से कुल सात साक्षी प्रस्तुत किये गये।

मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दि. 23.09.2006 को सम्बन्धित थाने के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिस पर प्रदर्श क–1 पड़ा है उसमें वादी मुकदमा ने यह कथन किया है कि–

"वह दि. 22.09.2006 को उसके भाई बच्चा लाल यादव व पड़ोस के स्वर्गीय लल्लू बनिया का दामाद जो बैरहना का निवासी है जिसको मैं पहचानता हूँ नाम नहीं जानता हूँ 11.00 बजे दिन किसी बात को लेकर गाली गलौज हुआ था। मेरा भाई दि. 22/23.09.2006 को रात अपने घर के बाहर चौतरे पर करीब 1.30 बजे रात में सो रहा था कि उक्त लल्लू बनिया का दामाद उसी रंजिश को लेकर रात में मेरे भाई का मुँह दबाकर बुरी तरह से चाकू व सरिया से मारकर घायल कर दिया। जिससे शरीर क्षत–विक्षत होकर खून से बेहोश पड़ा था। सांस चल रही थी। मैं सुबह उटकर दरवाजे से बाहर चौतरे पर देखा तो मेरे भाई का शरीर क्षत–विक्षत पड़ा था। उपरोक्त चोटहिल की मृत्यु दौरान इलाज दि. 04.10.2006 को मृत्यु हो गयी थी।"

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित करते हुये नहीं देखा गया परन्तु अभियोजन साक्षी 1 दूधनाथ यादव, अभियोजन साक्षी 2 मुन्नालाल यादव एवं अभियोजन साक्षी 3 जवाहर यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में रात में घटना देखे जाने का कथन किया है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है एवं अभियोजन साक्षी 6 ने भी यह बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति के बारे में कोई विवरण नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था तथा इस बात का विरोधाभास है कि अभियुक्त द्वारा किस प्रकार से मृतक को मारा गया। अभियोजन साक्षी 1 दूधनाथ यादव ने चाकू और सरिया से मारने की बात कही है। वहीं पर अभियोजन साक्षी 2 ने हाथ में चाकू होने का कथन किया है, अभियोजन साक्षी 3 भी अभियुक्त द्वारा चाकू से प्रहार करने की बात कही गयी है। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि अभियुक्त के दाहिने हाथ में सरिया व चाकू था तथा बांये हाथ से उसने उसके भाई का मुंह दबाये रखा था जो कि किसी रूप में सम्भव नहीं है कि एक ही हाथ में सरिया व चाकू पकड़कर कोई वार कर सके। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की गवाही में प्रयुक्त हथियार के सम्बन्ध में ही विरोधाभास है।

इस मामले में अति महत्वपूर्ण तथ्य मृतक की चिकित्सा रिपोर्ट है। पत्रावली में शामिल चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श क– 17 के अनुसार मृतक के शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी हैं।

1. एक खरास 2X1 CM के आकार का बांयी भौंव के 4 CM ऊपर मौजूद था।
2. एक टांके लगे हुये फटे हुये घाव दायें कान पर 2X5 CM के आकार का था।

3. एक खरास 4X2 CM के आकार का था।

4. एक खरास 3X1 CM के आकार का बांये टेहुनी के ऊपर मौजूद था।

5. एक खरास 12X10 CM के आकार का दाहिने कंधों पर मौजूद था।

6. एक नीलगू सूजन 3X10 CM के आकार का बांये ललाट पर था।

7. एक नीलगू सूजन 19X9 CM के आकार का बांये अग्र बाजू एवं हाथ पर मौजूद था।

8. एक टांका लगा हुआ फटा हुआ घाव 3X1 CM के आकार का दांये भौं पर मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षण–

1. मस्तिष्क में हिमोटूमा मौजूद था।

2. लेरिंग्स में ट्रैकियोस्ट्रामी ट्यूब मौजूद था।

3. हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे।

4. आमाशय में लगभग 100 एम.एल. तरल पदार्थ मौजूद था।

इस सम्बन्ध में साक्षी संख्या–1 ने चाकू और सरिया से चोट आने का जिक्र किया है जबकि साक्षी सं.–2 एवं 3 ने सिर्फ चाकू से मारे जाने का कथन किया। जबकि मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर साक्षी सं.–4 भुपेन्द्र श्रीवास्तव ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि मृतक के शरीर पर जो भी चोटें आयी हैं वे रगड़ या किसी कुन्द वस्तु से आना सम्भव है तथा किसी भी चोट का धारदार हथियार से उत्पन्न चोट जैसा नहीं है। चिकित्सक साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि मृतक के शरीर पर जो चोटें आयी हैं वे किसी भी चाकू अथवा धारदार असलहे से आना सम्भव नहीं है तथा मृतक के शरीर पर आयी हुयी चोटें 1 से लेकर 8 तक कोई भी हड्डी टूटी नहीं है। किसी भी किस्म का फ्रैक्चर नहीं है। इस प्रकार अभियोजन का कथन है कि अभियुक्त चाकू और सरिया दोनों से हमला कर रहा था जबकि चिकित्सीय साक्ष्य में न तो धारदार हथियार से चोट है न तो ऐसी कोई चोट पायी गयी जिसकी चाकू से प्रहार किये जाने की पुष्टि की गयी हो। इस प्रकार प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथनों एवं चिकित्सीय साक्ष्य के मध्य गम्भीर व मौलिक विरोधाभास विद्यमान है।

यहाँ यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक के निकट सम्बन्धी हैं तथा किसी भी स्वतंत्र पड़ोसी एवं निष्पक्ष गवाही घटना के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्वयं मामले के विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है कि पड़ोस के किसी व्यक्ति ने घटना के सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्षदर्शी बयान नहीं दिया है।

यहाँ यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि साक्षी पी.डब्लू. 1 दूधनाथ यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दि. 22.09.2006 को उसकी माता का दसवी कार्यक्रम था तथा उसी दिन टेण्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ था। दूसरी ओर पी.डब्लू 2 मुन्ना लाल ने कहा कि उनकी माता का निधन दि. 21.09.2006 को हुआ था तथा दि. 22.09.2006 को निकासी का कार्यक्रम था तथा साक्षी पी.डब्लू. 3 जवाहर यादव ने भी अपनी माता की मृत्यु दि. 21.09.2006 होना बताया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की गवाही घटना वाले दिन आयोजित कार्यक्रम के विषय में भी समानता नहीं है।

अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण मामला इस आधार पर टिका है कि मृतक पर चाकू एवं सरिया से हमला किया गया परन्तु पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर भूपेन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक के शरीर पर आयी हुयी समस्त चोटें किसी रगड़ एवं कुन्द के समान शरीर पर आयी हुये चोटें धारदार हथियार से नहीं आ सकती। यदि अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्षी सं.– 1, 2, 3 के कथनों को सत्य भी मान लिया जाये तो उनके अनुसार उन्होंने अभियुक्त द्वारा मृतक को चाकू से अनेक वार करते हुये देखा परन्तु चिकित्सक साक्षी के अनुसार अभियुक्त के शरीर पर ऐसी कोई भी चोट नहीं थी जो चाकू से आना सम्भव हो। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के मौखिक साक्ष्यों का समर्थन नहीं करता। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि जब चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी गवाही को पूर्णता असम्भव या अविश्वसनीय बना दे तब न्यायालय को चिकित्सीय साक्ष्य को उचित महत्व देना चाहिये एवं जहाँ चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी संकलन को असम्भव बनाता हो वहाँ अभियोजन की कहानी सन्देहास्पद हो जाती है।

उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में न्यायालय इस मत की है कि वादी मुकदमा द्वारा लिखवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसकी तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य जो न्यायालय में प्रस्तुत किया गये हैं उनमें महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। इसके साथ ही साथ अभियोजन गवाही घटना के पूर्ववर्ती कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक समानता नहीं है। मृतक के शरीर पर आयी हुयी चोट, अभियोजन पक्ष के द्वारा साक्ष्य में बताये गये हथियार के प्रकार व चिकित्सीय रिपोर्ट में परस्पर विरोधाभास है तथा चिकित्सक साक्ष्य से चाकू से हमले का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई भी स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभियोजन पक्ष के बयान विलम्ब से किस कारण दर्ज किये गये इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को सन्देह से परे साबित करने में असफल रही।

आदेश

अभियुक्त दिलीप कुमार केसरी को आरोप धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया किया जाता है।

अभियुक्त दिलीप कुमार केसरी जमानत पर हैं। अतः उसके निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं और उनके प्रतिभुओं को जमानत दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

धारा–437–क, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत बन्धपत्र एवं प्रतिभू पत्र अग्रिम छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेगें।

दिनांक 09.06.2026

(दिवाकर द्विवेदी)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या– 1, प्रयागराज।
J.O. Code- U.P. 6265

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 09.06.2026

(दिवाकर द्विवेदी)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या– 1, प्रयागराज।
J.O. Code- U.P. 6265

Digitally signed by DIVAKER DWIVEDI
Date: 2026.06.12 16:33:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court